

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक - 24.06.2026

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 01  
अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण, में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस वांछित अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नौगवां थाना कलान जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. राजीव कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नौगवां थाना कलान जनपद शाहजहांपुर

**घटना का विवरण :-** दिनांक 21.05.2026 को वादिनी की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तों द्वारा वादिनी की पुत्री को भगा कर लेना जाने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 89/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम राजीव कुमार आदि 06 नफर अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में वादिनी की नाबालिग पुत्री को सुकशल बरामद कर, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान पीडिता के आधार पर अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नौगवां थाना कलान जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर अभियोग में धारा 5(L) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्त राजवीर उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

**अभियुक्त राजीव कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

01. मु0अ0सं0 89/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस व 5(L) पाक्सो एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-**

01. थानाध्यक्ष नितिन चौधरी
02. उ0नि0 दिनेश कुमार
03. का0 अजय कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**

## प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक - 24.06.2026

**थाना कमालगंज पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 180/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त विमलेश पुत्र स्व0 रामसनेही निवासी ग्राम भूलनपुर चिरपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**घटना का संक्षिप्त विवरण** – दिनांक 20.06.2026 को वादी श्री सन्तोष कुमार पुत्र नवीनचन्द्र निवासी ग्राम भूलनपुर चिरपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई के साथ बैठकर शराब पीना तथा गाली गलौज व मारपीट कर मक्के खेत में छोड़ आना जिससे बाद में वादी के भाई की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दिया गया। तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 180/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/105 बीएनएस बनाम विमलेश पुत्र स्व0 रामसनेही आदि 05 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम

में अभियुक्त विमलेश पुत्र स्व० रामसनेही निवासी ग्राम भूलनपुर चिरपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त विमलेश उपरोक्त नें पूछताछ के दौरान शराब के नशे में वादी के भाई के साथ मारपीट करते हुए मक्के के खेत में छोड़ देना तथा अपने बयान वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

**अभियुक्त विमलेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-**

01. मु०अ०सं० 180/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/105 बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-**

1. SHO श्री रामसहाय सिंह
2. उ०नि० श्री अखिलेश कुमार
3. का० रविन्द्र कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**

प्रेस नोट – कोतवाली फरुखाबाद

दिनांक - 24.06.2026

कोतवाली फरुखाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फरुखाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुशील मिश्रा पुत्र विद्यासागर निवासी बागकूचा कोतवाली फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. सुशील मिश्रा पुत्र विद्यासागर निवासी बागकूचा कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 21.06.2026 को वादी श्री उत्कर्ष मिश्रा उर्फ भूरा पुत्र स्व0 ललित मिश्रा निवासी पल्ला जटवारा कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तों द्वारा वादी को गाली गलौज करना जिसका विरोध करने पर एक राय होकर जाने से मारने की नियत से फायर करना व मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 126/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुशील मिश्रा पुत्र विद्यासागर निवासी बागकूचा कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त सुशील मिश्रा उपरोक्त ने पूछताछ करने पर पुरानी रंजिश को लेकर उक्त घटना का होना बताया तथा अपने बयान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया ।

**अभियुक्त सुशील मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 126/26 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

**गिरफ्तारी करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस:-**

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह गहलोत
2. उ0नि0 श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय
03. का0 रामू
04. का0 महेन्द्र प्रताप सिंह

**मीडिया सेल फतेहगढ़ ।**